<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2021 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2021/8

<u>अनवान</u>

1. श्री सुरेश पिता श्री दला भील, निवासी–हुण्डला, आम्बा, तहसील–झाड़ोल, जिला–उदयपुर।

— प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री भीमचन्द भील पिता श्री थावरा भील, निवासी–हुण्डला, आम्बा, तहसील–झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला–उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री भवानीशंकर पानेरी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री संजय सोनी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने</u>

*** *<u>निर्णय</u>* ***

दिनांक 11-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा हुण्डला, पटवार मण्डल डैया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 522/344) रकबा 0.4800 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 526/344) रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि यानि आराजी संख्या 344 रकबा 0.80 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पिता का 30–35 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी एवं उसके पिता ही काश्त कर रहे है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता ने रहने के लिये मकान भी बनाया हुआ है, जिसमे प्रार्थी व उसका परिवार कई वर्षो से निवास कर रहा है। कथित भूमि के संबंध मे प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही भी की गई है, किन्तु उसे कभी मौके से बेदखल नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 18.09.1998 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 522/344) रकबा 0.4800 हेक्टेयर एवं दिनांक 15.02.2005 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:38:02 IST
Reason: SelfAttested

526/344) रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि का पटवारी हल्का से मिलकर आंवटन अपने नाम करवा लिया। आवंटन के समय न तो कोरम पूर्ण था, न आवंटन से पूर्व नियम 7 की पालना की गई, न कोई उद्घोषणा पत्र जारी किया गया और न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल भू राजस्व अधिनियम की धारा 61 में वर्णित प्रावधान के अनुसार की गई है। यदि उद्घोषणा पत्र की तामिल होती तो प्रार्थी निश्चित ही आवंटन समिति के समक्ष उजरदारी पेश करता। आवंटन के समय नियम 4 एवं नियम 5 की पालना नही की गई तथा ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की कोई सूची तैयार नही की गई। पटवारी हल्का से मिलकर विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूमि का आवंटन अपने नाम से करवा लिया। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के खातेदारी भूमि से मिली हुई है तथा विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। आज दिनांक तक आराजी संख्या 344 भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। प्रार्थी ने भारी लागत लगा भूमि को समतीलकरण कर एवं उपजाऊ बना काबिल काश्त बनाई है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नही है और न ही स्वयं खेती करता हैं, इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 18.09.1998 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 522/344) रकबा 0.4800 हेक्टेयर एवं दिनांक 15.02.2005 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 526/344) रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि का अपने नाम आवंटन करवाया है। उक्त आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सोनी द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा हुण्डला, पटवार मण्डल डैया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे दिनांक 18.09.1998 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 522/344) रकबा 0.4800 हेक्टेयर एवं दिनांक 15.02.2005 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 526/344) रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि विधिवत रूप से आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई। आवंटित भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पिता का 30–35 वर्षो से कब्जा होना, उनका काश्त करना, 91 की कार्यवाही करना, मौके से बेदखल नही करना, पटवारी हल्का से मिलकर कृषि भूमि का आवन्टन अपने नाम पर करवाना, उद्घोषणा–पत्र धारा 61 के प्रावधान अनुसार नहीं करना, विपक्षी संख्या 1 का भूमि से कोई संबध नही होना, प्रार्थी द्वारा भूमि सपुर्द करने व लागत अदा करने बाबत् कहना आदि कथन गलत अंकित किये है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व, कब्जे व खातेदारी की भूमि हैं, जिस पर प्रार्थी व उसके पिता का कभी भी कब्जा नही रहा है। नाजायज लाभ अर्जित करने की गरज से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:38:02 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 को विधिनुसार अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण कर आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा समतल कर काश्त किए जाने योग्य बनाया है व करीब 5 लाख रूपये की लागत उक्त भूमि पर लगाई है। विपक्षी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का विधिवत आवन्टन किया गया है तथा समस्त नियमों की पालना की गई है। मौके पर आवंटीगण को कब्जा सुपुर्द किया गया व उसकी फर्द बनायी गई, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में है। प्रार्थी की पत्नी आंगनवाड़ी मे कार्य करती है तथा प्रार्थी भारी धन दौलत वाला व्यक्ति हो विपक्षी संख्या 1 को नाजायज परेशान करने के गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के पास पूर्व से काफी जमीन है। विपक्षी संख्या 1 आवंटन के दिन भूमिहीन काश्तकार थे। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना की जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा लगातार काश्त की जा रही है। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन पूर्णतया विधिनुकुल होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। प्रकरण मे जवाब विपक्षीगण प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि का उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रांरभ करते हुये प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुये कथित भूमि पर प्रार्थी का उसके पिता के समय से 30–35 वर्ष पुराना कब्जा होना, धारा 91 की कार्यवाही होना, बेदखल न होना, कथित भूमि खातेदारी भूमि से मिली होना, भारी लागत लगाना, उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन नियम 4, 5, 7 एवं 13 की पालना न होना, विपक्षी संख्या 1 द्वारा 3 बार पृथक–पृथक भूमि आवंटन कराना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

- आर.आर.टी. 2001(1) पेज 1410
- आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1048
- आर.आर.टी. 2005(1) पेज 83
- आर.आर.डी. 2005(1) पेज 629

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होना, मौके पर विपक्षी संख्या 1 का निर्माण होना, निर्माण के पश्चात् प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, उक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:38:02 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार होना, आवंटन मे पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कथित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी ट्रेसपासर है एवं ट्रेसपासर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। नियमानुसार आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपर्द किया गया हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 299
- आर.आर.टी 2011 (1) पृष्ठ 383
- आर.आर.टी. 2006–2007 एस.यू.पी.पी. 382

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा हुण्ड़ला, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 522/344) रकबा 0.4800 हेक्टेयर दिनांक 18.09.1998 को एवं आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 526/344) रकबा 0.3200 हेक्टेयर दिनांक 15.02.2005 को भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन पत्रावली का कोरम पूर्ण हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से कोई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु आवंटन के पूर्व का न तो कोई पुराना राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही उक्त आराजीयात के धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन से पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:38:02 IST
Reason: SelfAttested

संबंध में विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व के धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 91 के कुछ नोटिस अवश्य पेश किये है, जो विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन के पश्चात् के है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान मे उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के फलस्वरूप ही प्रदान किये जाते है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी भी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना विधिसम्मत नही पाया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन के लंबे समय पश्चात् उक्त प्रा.पत्र पेश किया एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब का समुचित कारण भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नही बताया गया हैं एवं न ही मयाद कण्ड़ोन किये जाने बाबत विधिनुसार कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। बिना किसी समुचित आधार के खातेदार के आवंटन को निरस्त करना ''ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस'' होगा। विपक्षी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा हुण्ड़ला, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 522/344) रकबा 0.4800 हेक्टेयर एवं दिनांक 15.02.2005 को आराजी संख्या 344 (हाल आराजी संख्या 526/344) रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल द्वारा किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.21 14:38:02 IST
Reason: SelfAttested